

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ (राज.)

क्रमांक/स्था/2023/511

Telephone No-01478-221584

दिनांक-30/06/2023

E-mail-cjm-pra-rj@hcraj.nic.in

कार्यालय आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ के पत्र क्रमांक-स्था/19/3632 दिनांक-15/11/2019 तथा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/स्था/2021/723 दिनांक-25/11/2021 के क्रम में माह जुलाई-2023 के राजकीय अवकाशों के दिनों में प्रतापगढ न्याय-क्षेत्र (संपूर्ण प्रतापगढ जिले) के रिमाण्ड,बेल एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु निम्नानुसार मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है।

जुलाई-2023

| क्र.सं. | दिनांक                   | अवकाश                    | न्यायिक मजिस्ट्रेट  |
|---------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1       | 02/07/2023               | रविवार                   | श्री हिमांशु चावला(RJS)<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ(राज.)                  |
| 2       | 08/07/2023<br>09/07/2023 | द्वितीय शनिवार<br>रविवार | श्री नुकेश भगोरा.(RJS)<br>अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अरनोद(राज.)            |
| 3       | 16/07/2023               | रविवार                   | श्री हरीश मेनारिया,(RJS)<br>अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,धरियावद-राज.    |
| 4       | 17/07/2023               | स्थानीय अवकाश            | श्री विकास जैन, न्यायाधिकारी,<br>ग्राम न्यायालय,प्रतापगढ(राज.)                |
| 5       | 22/07/2023<br>23/07/2023 | चतुर्थ शनिवार<br>रविवार  | शहनाज खॉ लौहार.(RJS)<br>अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ(राज०)            |
| 6       | 29/07/2023               | मोहरम                    | श्री महेश सिंह मीणा,(RJS)<br>अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,छोटीसादडी-राज. |
| 7       | 30/07/2023               | रविवार                   | श्री हिमांशु चावला(RJS)<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ(राज.)38                |

नोट:-

01. उक्त अवकाश के दिनों में अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट (रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट) समय -11.00 AM से 1.00 PM तक-02 घण्टे अपने न्यायालय में बैठकर कार्य संपादित करेंगे। साथ ही उक्त दो घण्टे के दौरान संबंधित न्यायालय के रीडर, स्टेनो, फौजदारी लिपिक व एक सहायक कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिये पाबंद किया जाता है।
02. रिमाण्ड ड्यूटी दिवस के पूर्व अथवा पश्चात में अवकाश घोषित होने पर संबंधित रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही घोषित अवकाश दिवस को भी रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
प्रतापगढ (राज.)